



राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के० संख्या- 03/06-07

विषय:- श्री अमोद कुमार, पिता- स्व० रामानन्द सिंह, ग्राम+पो०- दतियाना, थाना-
बिक्रम, जिला- पटना का प्राप्त आवेदन-पत्र।

03.11.2006

दायर किये गये अपील से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अपीलकर्ता द्वारा किस प्रकार की सूचना की अपेक्षा लोक सूचना पदाधिकारी, गृह (कारा) विभाग से की गई है अतः दिनांक-15.11.06 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट करने का निदेश दिया जाय।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

15.11.2006

आवेदक उपस्थित हैं। कारा विभाग से इन्हें प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। आवेदक ने बतलाया कि सूचना अपूर्ण है। कारा विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी श्री मृत्युंजय कुमार को आयोग की आगामी बैठक दिनांक-28.11.06 को 11.00 बजे प्रातः उपस्थित रहने का निदेश दिया जाय।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

28.11.2006

आवेदक उपस्थित हैं। कारा विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी श्री मृत्युंजय कुमार आयोग की बैठक में उपस्थित नहीं हुये। यह खेद का विषय है, अगले तिथि दिनांक-21.12.06 को प्रातः 11.00 बजे को श्री मृत्युंजय कुमार अवश्य उपस्थित हों एवं अपना स्पष्टीकरण दें।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

21.12.2006

लोक सूचना पदाधिकारी एवं आवेदक उपस्थित थे। लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा आवेदक को पूरी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। क्रय समिति के पदाधिकारियों का नाम, पदनाम, पता इत्यादि तथा जिस फर्म से क्रयादेश किया गया है उसका पुरा नाम, पता इत्यादि दिनांक 15.01.07 तक लोक सूचना पदाधिकारी आवेदक को उपलब्ध करायेंगे। इस आदेश के उपरान्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त